न्यूज़ टुडे

लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के साथ घरेलू दुर्व्यवहार के मामलों में वृद्धि हुई है

- **कोविड–19 के कारण लागू किए गए लॉकडाउन (मार्च से सितंबर माह) के दौरान** राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) को घरेलू हिंसा की 13,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
  - **केवल उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार राज्यों से 70% शिकायतें प्राप्त हुई हैं।** उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं द्वारा दर्ज कराए गए मामलों की संख्या लगभग 1% से भी कम है।
- **महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार के प्रमुख कारण:**
  - **चूंकि लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति के बाह्य आवागमन पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया गया था,** इस कारण व्युत्पन्न परिस्थितियों ने महिलाओं को शारीरिक, यौन और भावनात्मक शोषण आधारित उच्च जोखिम वाले अपमानजनक संबंधों की स्थिति में पहुंचा दिया था।
  - **विशेष रूप से पुरुषों की** आय में गिरावट के कारण **आर्थिक सुरक्षा जोखिमों को बढ़ावा प्राप्त हुआ है** और इस स्थिति में वे अपने जीवनसाथी पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यह स्थिति तब और निकृष्ट हो जाती है, जब विवाहित दंपत्ति में महिला कार्यशील हो तथा पुरुष बेरोजगार।
  - **स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं एवं पुलिस विभाग में कर्मचारियों की कमी** और उन पर अति कार्य भार, **स्थानीय सहायता समूहों के पास** धन का अभाव व घरेलू हिंसा पीड़ितों के आश्रय केंद्रों का भी बंद होना आदि **लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार के प्रमुख कारणों में शामिल रहें हैं।**
- **सरकार द्वारा उठाए गए कदम:**
  - **वन स्टॉप सेंटरों को समेकित करना,** जो लैंगिक हिंसा का सामना कर चुकीं महिलाओं को विधिक और मानसिक–सामाजिक सहायता प्रदान करते हैं तथा स्थानीय चिकित्सा दलों, पुलिस एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से संबद्ध हैं।
  - NCW ने एक हेल्पलाइन और ईमेल विकल्प के साथ एक व्हाट्सएप नंबर भी लांच किया है।

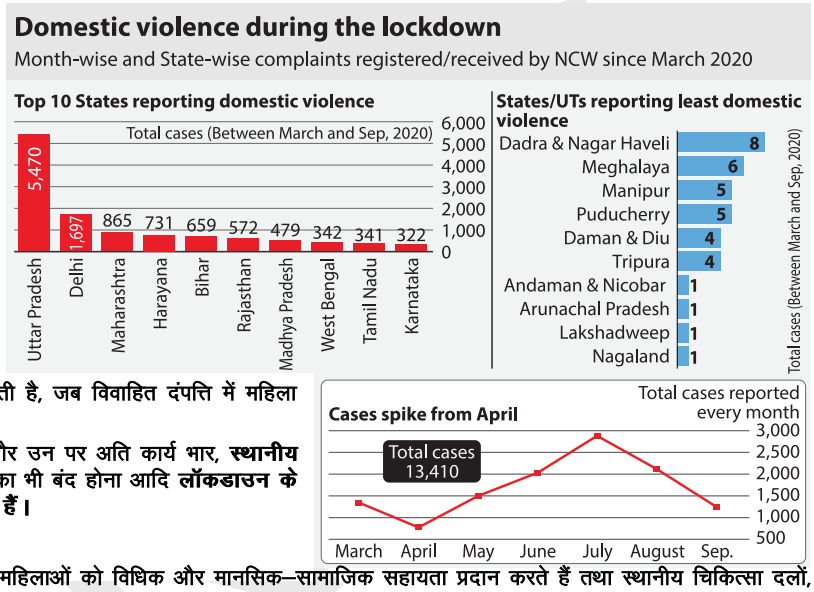

संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोविड–19 जनित खाद्य संकट के निवारणार्थ खाद्य गठबंधन (Food Coalition) की शुरुआत की गई है

- यह **खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization: FAO)** द्वारा संचालित एक बहु–हितधारक व बहु–क्षेत्रीय गठबंधन है। ज्ञातव्य है कि FAO संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशेषीकृत एजेंसी है, जो भुखमरी के उन्मूलन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के प्रसार को बढ़ावा देती है।
- यह गठबंधन वस्तुतः **वैश्विक खाद्य पहुंच को सुनिश्चित करने तथा अधिक संधारणीय रीति के माध्यम से कृषि–खाद्य प्रणालियों की सुनम्यता और परिवर्तनशीलता को बढ़ावा देने हेतु** कोविड–19 से निपटने के लिए आरंभ की गई अभिनव पहलों को समर्थन प्रदान करेगा।
- **कोविड–19 संकट खाद्य प्रणालियों में विभिन्न व्यवधानों के सृजन द्वारा खाद्य सुरक्षा और पोषण पर दीर्घकालिक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।** ये व्यवधान खाद्य उत्पादन, किसानों के स्वास्थ्य, कृषि आगतों तक पहुंच, बाजारों तक पहुंच, ग्रामीण रोजगार व आजीविका आदि को प्रभावित कर सकते हैं।
  - विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट, 2020 (State of Food Security and Nutrition in the World report, 2020) के अनुसार, वर्ष 2019 में कम से कम 690 मिलियन लोग भुखमरी से पीड़ित रहे थे।
  - अब, वर्ष 2020 के अंत तक इस महामारी के कारण **130 मिलियन से अधिक लोग चिरकालिक भुखमरी से ग्रसित हो सकते हैं।**
- **खाद्य गठबंधन निम्नलिखित दिशा में कार्य करेगा:**
  - संसाधनों, विशेषज्ञता और नवाचार का संग्रहण करेगा।
  - संयुक्त और समन्वित कोविड–19 प्रतिक्रिया का समर्थन करेगा।
  - देशों के मध्य संवाद और ज्ञान तथा विशेषज्ञता के आदान–प्रदान को बढ़ावा देगा।
  - समाधान–उन्मुख योजनाओं और कार्यक्रमों की दिशा में कार्य करेगा।
  - एक दीर्घकालिक प्रभाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी का विस्तार करेगा।

वर्जिन हाइपरलूप (Virgin Hyperloop) ने प्रथम मानव परीक्षण को पूर्ण कर लिया है

- यह हाइपरलूप प्रौद्योगिकी (hyperloop technology) के व्यवसायीकरण की दिशा में एक कदम है। इसी के साथ वर्जिन हाइपरलूप, इस प्रौद्योगिकी का मानवीय परीक्षण करने वाली प्रथम कंपनी बन गई है।
- हाइपरलूप एक **निकट–निर्वात ट्यूब** (near-vacuum tube) संरचना में **उच्च गति से चलने वाली ट्रेन** है। इसे परिवहन का 5वां माध्यम (मोड) माना जाता है (अन्य 4 में रेलवे, सड़कमार्ग, वायुमार्ग और जलमार्ग शामिल हैं)।
  - यह नीति आयोग द्वारा **सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए निर्दिष्ट 6 नए प्रस्तावों में से एक है।** अन्य पांच में मेट्रिनो, स्टैडलर बसें, पॉड टैक्सी, हाइब्रिड बसें और फ्रेट रेल रोड शामिल हैं।
- हाइपरलूप का लक्ष्य उन दो अवरोधों यथा: घर्षण और वायु प्रतिरोध (friction and air resistance) को समाप्त करना है, जो नियमित वाहनों की गति को धीमा करते हैं।
  - घर्षण को निष्प्रभावी करने के लिए पॉड, एक चुंबकीय उत्थापन ट्रेन (magnetic levitation train) की भांति उसके ट्रैक से कुछ ऊपर संचालित होता है। वायु प्रतिरोध को कम करने के लिए ट्यूब का उपयोग किया जाता है।
- **निम्न वायु प्रतिरोध,** ट्यूब के भीतर कैप्सूल (पॉड) को **1000 किमी/घंटा से अधिक** की गति प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जिससे यात्रा में लगने वाले समय की पर्याप्त बचत होती है।
- हाइपरलूप **पर्यावरण के अनुकूल** है और इसके लिए अधिक रखरखाव की आवश्यकता भी नहीं होती है।
- आईआईटी मद्रास (IIT Madras) में कार्यरत **'आविष्कार' परियोजना** (Avishkar' project) की टीम भारत के प्रथम स्वचालित हाइपरलूप पॉड के विकास पर कार्य कर रही है।

वित्त मंत्री ने गूगल, फेसबुक आदि जैसी डिजिटल फर्मों पर कर के आरोपण हेतु आम सहमति का आह्वान किया है

- डिजिटल करों में वस्तुतः ऐसी नीतियां शामिल होती हैं, जो **विशेषकर डिजिटल माध्यम से उत्पाद या सेवाएं प्रदान करने वाले व्यवसायों को लक्षित करती हैं।**
- डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को प्रायः उन करों पर नीतिगत विचार–विमर्श के साथ संबद्ध किया जाता है, जिनका **डिजिटल कंपनियों द्वारा भुगतान किया जाता है और जहां (किस देश में) वे भुगतान करती हैं।**
  - विभिन्न डिजिटल व्यवसाय मॉडल्स को उन देशों में भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है, जहां वे अपने उत्पादों या सेवाओं का विक्रय करती हैं और दूरस्थ बिक्री एवं सेवा प्लेटफार्मों के माध्यम से ग्राहकों तक अपने उत्पादों या सेवाओं को उपलब्ध कराती हैं।
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण (BEPS) फ्रेमवर्क के तहत **राष्ट्र डिजिटल फर्मों को देश में उनकी भौतिक उपस्थिति या प्राप्त लाभ के निरपेक्ष उनके द्वारा करों का भुगतान करने के संदर्भ में वार्ताएं कर रहे हैं।**
- OECD ने इस मुद्दे पर दो संरचनाओं के निर्माण हेतु एक रूपरेखा भी जारी की है।
  - **संरचना–1:** यह डिजिटल कंपनियों द्वारा किए जाने वाले लाभ आवंटन और किस देश को उन पर पहले कर आरोपण का अधिकार प्राप्त है से संबद्ध व्यवस्था से संबंधित है।
  - **संरचना–2:** इसके तहत कुल लाभ पूल (total profit pool) पर प्रभारित किए जाने वाले कर क्षेत्राधिकारों की गणना के लिए एक तंत्र का प्रस्ताव शामिल है।
- इससे पूर्व, मार्च 2020 में भारत ने 2% डिजिटल सेवा कर (DST) आरोपण व्यवस्था को अपनाया था।
  - यह केवल अनिवासी कंपनियों (non-resident companies) पर लागू होता है। साथ ही, यह वस्तुओं या सेवाओं की ऑनलाइन बिक्री या भारत में व्यक्तियों पर लक्षित उनके उद्देश्यों को भी शामिल करता है।

सरकार द्वारा अन्य सेवा प्रदाता (Other Service Provider: OSP) उद्योगों के लिए दिशा–निर्देशों को सरल बना दिया गया है

- **नए दिशा–निर्देशों का उद्देश्य** सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में विशेषकर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) और आईटी सक्षम सेवाओं (ITES) **की व्यवसाय करने में सुगमता (ease of doing business) में सुधार करना है।**
- **OSPs वस्तुतः एप्लीकेशन सर्विसेज, ITES या अन्य प्रकार की आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं होती हैं, जो प्रायः सेवाओं की प्रदायगी हेतु टेलीकॉम संसाधनों का उपयोग करती हैं।** OSP पदावली का प्रयोग BPOs, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग (KPOs), कॉल सेंटर्स आदि हेतु किया जाता है।
  - चूंकि इनमें से अधिकांश फर्म पट्टे (लीज़) पर प्राप्त टेलीफोन लाइनों का उपयोग करती हैं, जहां इन टेलीफोन लाइनों के माध्यम से दूरसंचार स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाता है, इसलिए OSPs के स्वतः पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया था, ताकि सरकार अपने संसाधनों का उपयोग करने वाली फर्मों की निगरानी कर सके।
  - साथ ही फर्म जाली (fake) OSPs स्थापित ना कर सके, यह सुनिश्चित करने के लिए भी पंजीकरण को अनिवार्य किया गया था।
- **नए दिशा–निर्देशों के अनुसार:**
  - भारत में OSP केंद्रों के लिए किसी भी पंजीकरण प्रमाण–पत्र की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।
  - डेटा से संबंधित कार्यों में संलग्न BPO उद्योग जगत को OSP नियमों के दायरे से बाहर कर दिया गया है।
  - OSPs को भारत में कहीं से भी (Work From Anywhere) या घर से कार्य (Work From Home) के आधार पर संचालित किया जा सकता है।
- इससे BPOs और ITES फर्मों को **स्थान संबंधी लागतों में कटौती करने, परिसर के लिए किराए और अन्य अनुषंगी लागतों व अनुपालन बोझ को कम करने आदि में सक्षम बनाने के साथ–साथ BPOs एवं KPOs में निवेश के लिए भारत को एक अधिमानी गंतव्य बनाने में सहायता प्राप्त होगी।**

अन्य सुर्खियाँ

भारत एवं मालदीव द्वारा आपसी संबंधों को बढ़ावा देने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए (India, Maldives sign MoUs to boost ties)	○ **हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में शामिल हैं:** ➢ 100 मिलियन डॉलर का अनुदान, जो ग्रेटर माले **कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट** (GMCP) के लिए **भारत द्वारा दिए जाने वाले 500 मिलियन डॉलर पैकेज** का हिस्सा है। ➢ उच्च प्रभावशीलता वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएं (High Impact Community Development Projects: HICDPs)। ➢ खेल और युवा मामलों में सहयोग। ○ भारत सरकार ने भी "पहले भारत" (Indiafirst) की विदेश नीति अपनाने पर मालदीव की सराहना एवं आभार व्यक्त किया है, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को चीन का निकट सहयोगी माना जाता था, जिसके कारण इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव पर चिंता प्रकट की गई थी।
ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की प्रथम बैठक आयोजित हुई (1st BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) meeting)	○ केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2020 के लिए ब्रिक्स आर्थिक और वित्तीय सहयोग एजेंडे (कार्यसूची) पर चर्चा करने हेतु आयोजित बैठक में भाग लिया गया। ○ **विचार–विमर्श संबंधी प्रमुख मुद्दे:** ➢ इस बैठक के तहत वर्ष 2020 में कोविड–19 के प्रत्युत्तर में G-20 की कार्य योजना सहित **G-20 में सऊदी अरब की अध्यक्षता के परिणामों** पर विचार–विमर्श के साथ; ➢ **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की सदस्यता के विस्तार पर** भी चर्चा की गई। ❖ NDB वस्तुतः ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं एवं विकासशील देशों में **अवसंरचना व सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने हेतु** ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका) देशों की एक पहल है।
राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2020 {National Nursing and Midwifery Commission Bill 2020 (NNMC)}	○ **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारतीय नर्स परिषद अधिनियम 1947** (Indian Nursing Council Act 1947) को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से NNMC को अंतिम रूप प्रदान किया गया है। ○ विधेयक के प्रारूप के तहत **भारतीय नर्सिंग परिषद (Indian Nursing Council)** के स्थान पर एक नए प्रतिनिधि निकाय की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसे **राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग (National Nursing and Midwifery Commission)** कहा जाएगा। ➢ इसमें केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, जो नीतियों का निर्माण तथा नर्सिंग एवं मिडवाइफरी शिक्षा के प्रशासन के लिए मानकों को विनियमित करेंगे। ○ **अन्य प्रमुख विशेषताएं:** योग्य उपचारिका (नर्स) और मिडवाइफरी की योग्यता रखने वाली विदेशी नागरिकों हेतु एक सामान्य प्रवेश परीक्षा व अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान किया गया है तथा इनके भारत में प्रैक्टिस के लिए एक अस्थायी लाइसेंस भी जारी किया जाएगा।
15वें वित्त आयोग (FC) ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है {15th Finance Commission (FC) submits its Report}	○ वित्त आयोग, **अनुच्छेद 280 के अंतर्गत** स्थापित एक संवैधानिक रूप से अधिदेशित निकाय है। **आयोग के कर्तव्यों के अंतर्गत शामिल हैं:** ➢ संघ और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना। ➢ उनके मध्य करों के बंटवारे के संबंध में अनुशंसाएं करना। ➢ राज्यों के मध्य इन करों के वितरण का निर्धारण करने वाले सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। ○ आयोग द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं को **वर्ष 2021–22 से वर्ष 2025–26 की अवधि के लिए** केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त के वितरण हेतु एक आधार के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ○ वित्त आयोग को **विद्युत् क्षेत्र, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना के अंगीकरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि जैसे क्षेत्रों में राज्यों के लिए मौजूदा प्रदर्शन प्रोत्साहनों** के परीक्षण व भावी प्रोत्साहनों की अनुशंसा हेतु निर्देशित किया गया है।
प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम–कुसुम) {Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthan Mahabhiyan (PM-KUSUM)}	○ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा **पीएम–कुसुम योजना** के लक्ष्य को वर्ष 2022 तक **30.8 गीगावाट (GW)** तक विस्तारित कर दिया गया है। ज्ञातव्य है कि इस योजना का **पूर्व निर्धारित लक्ष्य 25.7 गीगावाट (GW)** था। ○ इस योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करना है। ○ **इस योजना में तीन घटक शामिल हैं यथा:** ➢ घटक-A: ग्रिड से जुड़े विकेंद्रीकृत भू–स्थापित नवीकरणीय विद्युत संयंत्र। ➢ घटक-B: ग्रिड से पृथक सौर ऊर्जा द्वारा संचालित कृषि पंपों का संस्थापन। ➢ घटक-B: ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों का सौरकरण (सोलराइजेशन)।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में मौजूदा वायु गुणवत्ता का आकलन किया गया (CAQM reviews air quality in NCR and adjoining areas)	○ **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए नवगठित आयोग (CAQM)** द्वारा दीपावली से पूर्व वायु गुणवत्ता परिदृश्य का आकलन और अपनाए जाने वाले **तात्कालिक उपायों** का अभिनिर्धारण किया गया। ➢ **इन उपायों में शामिल हैं–** निजी परिवहन साधनों के उपयोग को कम करना, घर से कार्य (work from home) करने की प्रथा को प्रोत्साहित करना, अपशिष्ट के दहन को प्रतिबंधित करने हेतु नियमों का कठोर प्रवर्तन सुनिश्चित करना, एंटी–स्मॉग गन का उपयोग करना और धूल से प्रभावित क्षेत्रों में जल का छिड़काव करना आदि। ○ CAQM ने उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा गठित शीर्ष निकाय यथा **पर्यावरण प्रदूषण और रोकथाम नियंत्रण प्राधिकरण (EPCA)** सहित अन्य सभी निकायों तथा प्राधिकरणों (प्रदूषण से संबंधित मामलों में) को प्रतिस्थापित कर दिया है।
भारत में केसर उत्पादन का पूर्वोत्तर भारत तक विस्तार (Saffron bowl of India extends to the North East)	○ **उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र** (North East Centre For Technology Application and Reach) **सिक्किम में केसर उत्पादन की व्यवहार्यता** का पता लगाने के लिए **एक प्रायोगिक परियोजना** को प्रारम्भ कर रहा है। यह केंद्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के अंतर्गत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। ➢ **पंपोर (कश्मीर) और यांगयांग (सिक्किम)** के मध्य समान जलवायुवीय एवं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यांगयांग में केसर की प्रतिदर्श कृषि (sample farming) संभव हो सकी है। ○ **केसर** का उत्पादन दीर्घकाल से केवल **जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रों में ही किया जाता** रहा है तथा **कश्मीर के पंपोर क्षेत्र को केसर का कटोरा (Saffron bowl of Kashmir)** कहा जाता है। ➢ इसके अतिरिक्त, कश्मीर घाटी में केसर उत्पादन को बढ़ाने के लिए वर्ष 2010 में राष्ट्रीय केसर मिशन (National Saffron Mission) आरंभ किया गया था।